प्रस्तावित संशोधन

दिनांक 31 अक्टूबर 2022 के घोषणा पत्र (पूर्व में दिनांक 29 अगस्त 1997 के न्यास आलेख) की धारा 31 के प्रावधान के अनुसार न्यास आलेख की वर्तमान धारा 7 (xi), 10(ज), 20 (iii), 21 और 31 में संशोधन किया जाए तथा धारा 27 जोड़ी जाए, जो निम्नप्रकार पढ़ा जाएगा :-

परिभाषा

जब तक विषय या संदर्भ में कुछ भी असंगत न हो।

(xi) 'कल्याण न्यासी' अथवा 'कल्याण सदस्य' से अभिप्राय निम्नलिखित व्यक्तियों से है जो नीचे उल्लिखित संगठनों में पद/पदवी धारण करते हैं, जो जैन श्वेताम्बर तेरापंथ संप्रदाय से संबंधित एवं जुड़े हुए ट्रस्ट या सोसायटी हैं :-

i) जैन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा के अध्यक्ष

ii) अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के अध्यक्ष

iii) अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के अध्यक्ष

iv) तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के अध्यक्ष

v) जैन विश्व भारती संस्थान के कुलाधिपति

vi) जैन विश्व भारती के अध्यक्ष

vii) जय तुलसी फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी

viii) अखिल भारतीय अणुव्रत न्यास के प्रबंध न्यासी

ix) अणुव्रत विश्व भारती के अध्यक्ष

x) अमृतवाणी के अध्यक्ष

xi) पारमार्थिक शिक्षण संस्था के अध्यक्ष

xii) आचार्य भिक्षु समाधि स्थल संस्थान के अध्यक्ष

xiii) प्रेक्षाध्यान अकादमी के अध्यक्ष

xiv) प्रेक्षा इंटरनेशनल के चेयरमैन

इस ट्रस्ट में कल्याण न्यासी का कार्यकाल/अवधि केवल उनके संबंधित संगठनों में पद धारण की अवधि तक ही सीमित रहेगा। कल्याण न्यासी श्रेणी की सदस्यता के लिए कोई सदस्यता/सदस्यता शुल्क लागू नहीं होगा।

कोई अन्य संस्था/संगठन इस श्रेणी में आगे जोड़ा या शामिल किया जा सकता है और उसके ऐसे पदाधिकारी को कल्याण न्यासी के रूप में भी प्रवेश दिया जा सकता है, यदि कल्याण सदस्य मंडल 4/5 बहुमत से ऐसा निर्णय ले।

कोई भी कल्याण न्यासी कल्याण न्यासी नहीं रहेगा यदि कल्याण सदस्य मंडल द्वारा 4/5 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिया जाए।

10. कार्यसमिति

(ज) सामान्य प्रावधान

(i) सामान्यतः कार्यसमिति की बैठक में निम्नलिखित कार्य संपन्न किए जाएंगे।

a) पिछली बैठक की कार्यवाही का वाचन और उसकी पुष्टि करना।

a) ऐसे किसी मामले पर विचार करना जिसके लिए नोटिस दिया गया हो।

a) कार्यसमिति के अधिकारों में वर्णित अन्य विषय पर विचार-विमर्श।

a) बैठक के अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त किसी अन्य मामले पर चर्चा करना।

(ii) कार्यसमिति को कार्य करने का अधिकार होगा, भले ही उसके सदस्यों की संख्या में कोई रिक्तता होती है। यदि कार्यसमिति की सदस्यता में रिक्तता 10 या उससे अधिक है तो कार्यसमिति द्वारा लिया गया कोई निर्णय वैध नहीं होगा।

(iii) यदि न्यास के अध्यक्ष की गतिविधियां जैन श्वेताम्बर तेरापंथ संप्रदाय के हितों के प्रतिकूल पाई जाती हैं और कल्याण सदस्य तीन-चौथाई बहुमत से राय रखती है कि ऐसे अध्यक्ष का न्यास अध्यक्ष बने रहना संप्रदाय के हितों के विरुद्ध है, तो कल्याण सदस्य मंडल संबंधित अध्यक्ष को लिखित में कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है कि उन्हें क्यों न ट्रस्ट के अध्यक्ष पद से निष्कासित किया जाना चाहिए। स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद, कल्याण बोर्ड ऐसे निर्देश/आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे, जिसमें निष्कासन भी शामिल है।

एक बार अध्यक्ष निष्कासित हो जाने पर, संपूर्ण कार्यसमिति (सभी पदाधिकारियों सहित) स्वतः भंग हो जाएगी। ऐसी स्थिति में कल्याण सदस्य मंडल न्यास के सदस्यों में से 11 सदस्यों की एक तदर्थ समिति नियुक्त करेगा और उनमें से एक को संयोजक नियुक्त करेगा। उक्त तदर्थ समिति न्यास के नियमों एवं विनियमों के अनुसार तीन (3) माह की अवधि के भीतर अध्यक्ष का चुनाव पूरा कराएगी तथा उक्त अवधि के दौरान उक्त तदर्थ समिति न्यास के दैनिक कार्यों का संचालन करेगी। इस प्रकार निर्वाचित अध्यक्ष का कार्यकाल निष्कासित किए गए अध्यक्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए होगा।

20. कार्यकारी न्यास मंडल के अधिकार और कर्तव्य :

न्यास की सभी संपत्ति और कोष कार्यकारी न्यास मंडल में निहित होंगे और इसके निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगेः

i. न्यास की संपत्ति और कोष की रक्षा करना।

ii. न्यास के कोष को किसी कंपनी, एसोसिएशन या न्यास के शेयर, स्टॉक, डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करना और उनका विक्रय या निस्तारण करना जो कि भारतीय न्यास अधिनियम या आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के विसंगत नहीं हैं।

iii. न्यास के हित में किसी भी संपत्ति का विक्रय, विनिमय, त्याग या हस्तांतरण करना। बशर्ते कि किसी भी स्थायी संपत्ति के विक्रय के लिए कार्यकारी न्यास मंडल को कार्यसमिति की पूर्ण सहमति लेनी होगी।

संपत्ति का विक्रय, विनिमय, त्याग या हस्तांतरण से पूर्व कल्याण सदस्य मंडल की दो तिहाई बहुमत से स्वीकृति अनिवार्य होगी।

iv. उपरोक्त कार्यों की क्रियान्विति के लिए मंत्री या कोषाध्यक्ष के साथ किसी न्यासी को कार्यकारी न्यास मंडल की ओर से किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने एवं अन्य उचित कार्यों के लिए अधिकृत करना।

v. न्यास के संपत्ति और कोष की उचित अभिरक्षा की व्यवस्था करना।

21. चुनाव

i) कार्यसमिति साधारण सभा (जिसमें चुनाव का एजेंडा हो) की तारीख से कम से कम 30 (तीस) दिनों पूर्व कल्याण न्यासियों में से 3 (तीन) सदस्यीय चुनाव समिति नियुक्त करेगी। उस समिति के एक सदस्य को मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त करेगी तथा अन्य दो सदस्यों को अतिरिक्त चुनाव अधिकारी नामित करेगी।

ii) चुनाव समिति आवश्यक सभी कदम उठाएगी तथा ट्रस्ट के अध्यक्ष, मुख्य ट्रस्टी, कार्यकारी ट्रस्ट बोर्ड के 7 (सात) सदस्यों तथा मध्यस्थ बोर्ड के 3 (तीन) सदस्यों के पदों के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनापव कराएगी।

iii) चुनाव समिति चुनाव की तिथि से कम से कम 21 (इक्कीस) दिन पहले ट्रस्ट के नोटिस बोर्ड पर योग्य सदस्यों (मतदाताओं) की सूची प्रकाशित करेगी।

iv) मतदाताओं की सूची में किसी प्रकार की संशुद्धि, सुधार या संशोधन के लिए कोई शिकायत/अर्जी न्यास के सूचना पट्ट पर मतदाताओं की सूची के प्रकाशन से 5 (पांच) दिनों के भीतर साक्ष्य के साथ चुनाव समिति के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। चुनाव समिति मतदाता सूची में अपेक्षित संशोधन, सुधार या फेरबदल के बाद चुनाव की तारीख से 14 (चौदह) दिनों पूर्व न्यास के सूचना पट्ट पर मतदाताओं की सूची में परिशिष्ट/शुद्धिपत्र लगाएगी।

v) मतदाता सूची में सुधार के बाद अध्यक्ष, मुख्य न्यासी, कार्यकारी न्यास मंडल के 7 (सात) सदस्यों और पंचमंडल के तीन सदस्यों के लिए उम्मीदवार बनने में योग्य सदस्य चुनाव समिति से नामांकन पत्र प्राप्त कर सकेगा।

अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र पर उम्मीदवार, 5 (पांच) प्रस्तावक सदस्यों और 5 (पांच) अनुमोदक सदस्यों का हस्ताक्षर करवाना होगा। जिसमें प्रस्तावकों में कम से कम 2 (दो) कल्याण न्यासी एवं अनुमोदकों में कम-से-कम 2 (दो) कल्याण न्यासी होंगे। अध्यक्ष पद के अलावा अन्य पदों के लिए नामांकन पत्र पर उम्मीदवार और एक कल्याण न्यासी सहित 2 (दो) प्रस्तावक सदस्यों तथा एक कल्याण न्यासी सहित 2 (दो) अनुमोदक सदस्यों का हस्ताक्षर करवाना होगा।

नामांकन फॉर्म चुनाव समिति को संबोधित होगा तथा ट्रस्ट के पंजीकृत कार्यालय में चुनाव की तारीख से कम से कम 7 (सात) दिन पहले जमा किया जाएगा।

vi. चुनाव समिति किसी भी उम्मीदवार के नामांकन पत्र को रद्द कर सकती है, यदि वह अपूर्ण या अन्य प्रकार से अवैध पाया जाता है।

vii. कोई भी उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र चुनाव की तारीख से कम से कम 3 (तीन) दिन पूर्व वापस ले सकता है।

viii. नामांकन पत्र/पत्रों की वापसी के बाद चुनाव समिति शेष बचे नामांकन पत्रों की जांच करेगी और चुनाव की तारीख से 2 (दिन) पूर्व तक न्यास के सूचना पट्ट पर वैध नामांकन पत्रों के आधार पर योग्य उम्मीदवारों की अंतिम सूची लगाएगी। चुनाव अधिकारी कारणों सहित उन उम्मीदवारों की सूची भी लगाएगा जिनके नामांकन पत्र किसी भी कारण से अवैध पाए गए थे।

ix. चुनाव अधिकारी सभी वैध नामांकन पत्रों को वार्षिक साधारण बैठक के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

x. मतदान की स्थिति में गुप्त मतदान के द्वारा चुनाव कराया जाएगा। मतदान के लिए हकदार सदस्यों को स्वयं उपस्थित होकर मतदान करना होगा। सदस्य की अनुपस्थिति में किसी प्रतिनिधि को मतदान की अनुमति नहीं होगी।

xi. चुनाव के समय मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुपस्थित रहने की स्थिति में अतिरिक्त चुनाव अधिकारी मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

xii. चुनाव अधिकारी उसी दिन और उसी बैठक में चुनाव के परिणामों की घोषणा करेगा और उसे न्यास के सूचना पट्ट पर लगा दिया जाएगा।

xiii चुनाव वार्षिक साधारण बैठक के समय उसी स्थान पर संपन्न होगा। यदि किसी कारण से चुनाव उस तारीख पर संपन्न नहीं होता है तो चुनाव समिति दूसरी तारीख और समय की घोषणा करेगी ताकि चुनाव की पूर्व निर्धारित तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर चुनाव संपन्न हो सके।

xiv. चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव के मामले से संबंधित यदि कोई विवाद होता है तो उसे चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

27(क) कल्याण सदस्य मंडल

कल्याण सदस्य मंडल से अभिप्राय इस न्यास के सभी कल्याण सदस्यों से है, जो न्यास के नियमों एवं विनियमों के अनुसार सदस्यता प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं। कल्याण सदस्य मंडल को कल्याण बोर्ड भी कहा जा सकेगा।

कल्याण सदस्य मंडल के पास वो सभी अधिकार होंगे जो इस विधान में उल्लेखित हैं।

कल्याण सदस्य मंडल के निर्णय कल्याण सदस्य मंडल की बैठक या प्रसारित प्रस्ताव पर लिखित सहमति या असहमति से लिए जा सकेंगे।

कल्याण सदस्य मंडल में कल्याण सदस्यों के मध्य से कोई एक सदस्य को संयोजक के रूप में मनोनीत कर सकता है।

31. संशोधन

ट्रस्ट डीड का संशोधन या परिवर्तन केवल असाधारण सामान्य सभा में तथा कानून के प्रावधानों के अनुसार ही किया जा सकता है। ऐसे संशोधन या परिवर्तन की सूचना सभसा की तिथि से कम से कम तीस दिन पहले नोटिस बोर्ड पर चिपकाकर तथा व्यक्तिगत नोटिस द्वारा दी जानी चाहिए। ऐसी सभा की कोरम कम से कम 61 (इकसठ) सदस्यों का होगा। ट्रस्ट डीड का संशोधन केवल उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से ही किया जा सकता है, जो सरकारी प्राधिकारी की अनुमति/आदेश के अधीन होगा (यदि आवश्यक हो)।

न्यास आलेख में संशोधन एवं परिवर्तन के लिए असाधारण सामान्य साधारण बैठक बुलाने से पहले कल्याण सदस्यों की दो तिहाई बहुमत से सहमति अनिवार्य होगी।

यह संपूर्ण संशोधित प्रावधान मूल दस्तावेज के स्थान पर पढ़े जाएंगे।